



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062026-273556
CG-DL-E-17062026-273556

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3053]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2026/ज्येष्ठ 26, 1948

No. 3053]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2026/JYAISTHA 26, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2026

का.आ. 3175(अ).—केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) जिसे इसीमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि गुजरात राज्य के कच्छ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 41 के डिजाइन कि.मी. 220.773 से कि.मी. 288.987 तक नलिया से नारायण सरोवर खंड का दो-लेन पेव्ड शोल्डर सहित उन्नयन कार्य के लिए, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन निचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोसणा करती है।

कोई भीव्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पुर्बोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी के लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता के व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और

ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात, यदि कोई हो, जैसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों के अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना को अंतर्गत आने वाली भूमि के भूमियोजनाएं और अन्य ब्योरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

कच्छ जिले, गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 41 के डिजाइन कि.मी. 220.773 से कि.मी. 288.987 तक नलिया से नारायण सरोवर खंड के दो-लेन पेव्ड शोल्डर सहित उन्नयन कार्य हेतु अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: कच्छ		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: लखपत					
गांव का नाम: कनोज					
1	34	सरकारी	जंगल	0.2873 (हेक्टेयर)	0.2873
गांव का नाम: गुहर नानी					
2	17	सरकारी	सरकारी	0.1135 (हेक्टेयर)	0.1135
3	22	सरकारी	जंगल	0.678 (हेक्टेयर)	0.678
गांव का नाम: गुहर मोटी					
4	10	सरकारी	सरकारी	0.0486 (हेक्टेयर)	0.0486
5	69	निजी	कृषि	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
6	75	सरकारी	सरकारी	0.0131 (हेक्टेयर)	0.0131
गांव का नाम: कुनरी					
7	47	सरकारी	सरकारी	0.0265 (हेक्टेयर)	0.0265
8	65	सरकारी	सरकारी	0.0332 (हेक्टेयर)	0.0332
गांव का नाम: लक्ष्मीराणी					
9	14	सरकारी	सरकारी	0.0073 (हेक्टेयर)	0.0073
गांव का नाम: नरेडो					
10	12	सरकारी	ओ.एन.जी.सी.	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
11	23	सरकारी	ओ.एन.जी.सी.	0.1744 (हेक्टेयर)	0.1744
12	25	सरकारी	ओ.एन.जी.सी.	0.0011 (हेक्टेयर)	0.0011
13	27	सरकारी	ओ.एन.जी.सी.	0.0025 (हेक्टेयर)	0.0025

14	4	सरकारी	ओ.एन.जी.सी.	0.0188 (हेक्टेयर)	0.0188
15	58	सरकारी	सरकारी	0.0114 (हेक्टेयर)	0.0114
16	62	सरकारी	ओ.एन.जी.सी.	0.2326 (हेक्टेयर)	0.2326
17	69	निजी	कृषि	0.0213 (हेक्टेयर)	0.0213
18	70	सरकारी	सरकारी	0.0494 (हेक्टेयर)	0.0494
19	9	निजी	कृषि	0.0708 (हेक्टेयर)	0.0708
गांव का नाम: बरंदा					
20	150	सरकारी	सरकारी	0.0957 (हेक्टेयर)	0.0957
21	152	सरकारी	सरकारी	0.5971 (हेक्टेयर)	0.5971
22	153	सरकारी	सरकारी	0.2036 (हेक्टेयर)	0.2036
23	154	सरकारी	ग्राम पंचायत	0.0912 (हेक्टेयर)	0.0912
24	162	सरकारी	ग्राम पंचायत	0.0047 (हेक्टेयर)	0.0047
25	175	निजी	कृषि	0.0757 (हेक्टेयर)	0.0757
26	176	सरकारी	सरकारी	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
27	177	निजी	कृषि	0.0167 (हेक्टेयर)	0.0167
28	230	निजी	कृषि	0.0012 (हेक्टेयर)	0.0012
29	28	सरकारी	सरकारी	0.0627 (हेक्टेयर)	0.0627
30	323	सरकारी	सरकारी	0.0669 (हेक्टेयर)	0.0669
31	36	सरकारी	सरकारी	0.083 (हेक्टेयर)	0.083
32	54	सरकारी	सरकारी	0.0408 (हेक्टेयर)	0.0408
33	60	सरकारी	सरकारी	0.0071 (हेक्टेयर)	0.0071
34	61	सरकारी	कृषि	0.0224 (हेक्टेयर)	0.0224
35	65	सरकारी	सरकारी	0.2315 (हेक्टेयर)	0.2315
36	66	सरकारी	कृषि	0.0165 (हेक्टेयर)	0.0165
37	72	सरकारी	सरकारी	0.0553 (हेक्टेयर)	0.0553
गांव का नाम: हरुडी					
38	2	सरकारी	सरकारी	0.0723 (हेक्टेयर)	0.0723
39	30	सरकारी	सरकारी	0.0673 (हेक्टेयर)	0.0673
40	32	सरकारी	सरकारी	0.4757 (हेक्टेयर)	0.4757
41	70	सरकारी	सरकारी	0.3774 (हेक्टेयर)	0.3774
42	72	सरकारी	सरकारी	0.1698 (हेक्टेयर)	0.1698

गांव का नाम: खारई					
43	106	सरकारी	सरकारी	0.2278 (हेक्टेयर)	0.2278
44	137	निजी	कृषि	0.0552 (हेक्टेयर)	0.0552
45	138	निजी	कृषि	0.0324 (हेक्टेयर)	0.0324
46	152	सरकारी	सरकारी	0.1422 (हेक्टेयर)	0.1422
47	153	सरकारी	गोचर	3.9543 (हेक्टेयर)	3.9543
48	39	निजी	कृषि	0.0007 (हेक्टेयर)	0.0007
49	41	निजी	कृषि	0.469 (हेक्टेयर)	0.469
50	45	निजी	कृषि	0.382 (हेक्टेयर)	0.382
51	5	निजी	कृषि	0.0035 (हेक्टेयर)	0.0035
52	51	निजी	कृषि	0.4632 (हेक्टेयर)	0.4632
53	52	निजी	कृषि	0.0104 (हेक्टेयर)	0.0104
54	53	निजी	कृषि	0.3656 (हेक्टेयर)	0.3656
Total					10.8397

[फा. सं. GJ/LA/PMC-NH-41/0101/2023-24/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2026

S.O. 3175(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), (here in after referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for Upgradation to two-Lane with paved shoulders of Naliya to Narayan Sarovar Section from Design Km. 220.773 to Km. 288.987 of the National Highway No.41 in Kutch District in the State of Gujarat. hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under –section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority in writing and shall set out the grounds there of and the competent authority shall give the objector and opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objection and after making such further enquire, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULES

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling for **Upgradation to two-Lane with paved shoulders of Naliya to Narayan Sarovar Section from Design Km. 220.773 to Km. 288.987 of the National Highway No.41 in Kutch District in the State of Gujarat.**

State: GUJARAT			District: KACHCHH		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Lakhpat					
Village: Kanoj					
1	34	Government	Forest	0.2873 (Hectare)	0.2873
Village: Guhar Nani					
2	17	Government	Government	0.1135 (Hectare)	0.1135
3	22	Government	Forest	0.678 (Hectare)	0.678
Village: Guhar Moti					
4	10	Government	Government	0.0486 (Hectare)	0.0486
5	69	Private	Agriculture	0.001 (Hectare)	0.001
6	75	Government	Government	0.0131 (Hectare)	0.0131
Village: Kunri					
7	47	Government	Government	0.0265 (Hectare)	0.0265
8	65	Government	Government	0.0332 (Hectare)	0.0332
Village: Lakhmirani					
9	14	Government	Government	0.0073 (Hectare)	0.0073
Village: Naredo					
10	12	Government	ONGC	0.1 (Hectare)	0.1
11	23	Government	ONGC	0.1744 (Hectare)	0.1744
12	25	Government	ONGC	0.0011 (Hectare)	0.0011
13	27	Government	ONGC	0.0025 (Hectare)	0.0025
14	4	Government	ONGC	0.0188 (Hectare)	0.0188
15	58	Government	Government	0.0114 (Hectare)	0.0114
16	62	Government	ONGC	0.2326 (Hectare)	0.2326
17	69	Private	Agriculture	0.0213 (Hectare)	0.0213
18	70	Government	Government	0.0494 (Hectare)	0.0494
19	9	Private	Agriculture	0.0708 (Hectare)	0.0708
Village: Baranda					
20	150	Government	Government	0.0957 (Hectare)	0.0957
21	152	Government	Government	0.5971 (Hectare)	0.5971
22	153	Government	Government	0.2036 (Hectare)	0.2036
23	154	Government	Gram panchayat	0.0912 (Hectare)	0.0912
24	162	Government	Grampanchayat	0.0047 (Hectare)	0.0047
25	175	Private	Agriculture	0.0757 (Hectare)	0.0757
26	176	Government	Government	0.008 (Hectare)	0.008
27	177	Private	Agriculture	0.0167 (Hectare)	0.0167
28	230	Private	Agriculture	0.0012 (Hectare)	0.0012
29	28	Government	Government	0.0627 (Hectare)	0.0627
30	323	Government	Government	0.0669 (Hectare)	0.0669
31	36	Government	Government	0.083 (Hectare)	0.083
32	54	Government	Government	0.0408 (Hectare)	0.0408

33	60	Government	Government	0.0071 (Hectare)	0.0071
34	61	Government	Agriculture	0.0224 (Hectare)	0.0224
35	65	Government	Government	0.2315 (Hectare)	0.2315
36	66	Government	Agriculture	0.0165 (Hectare)	0.0165
37	72	Government	Government	0.0553 (Hectare)	0.0553
Village: Harudi					
38	2	Government	Government	0.0723 (Hectare)	0.0723
39	30	Government	Government	0.0673 (Hectare)	0.0673
40	32	Government	Government	0.4757 (Hectare)	0.4757
41	70	Government	Government	0.3774 (Hectare)	0.3774
42	72	Government	Government	0.1698 (Hectare)	0.1698
Village: Kharai					
43	106	Government	Government	0.2278 (Hectare)	0.2278
44	137	Private	Agriculture	0.0552 (Hectare)	0.0552
45	138	Private	Agriculture	0.0324 (Hectare)	0.0324
46	152	Government	Government	0.1422 (Hectare)	0.1422
47	153	Government	Gochar	3.9543 (Hectare)	3.9543
48	39	Private	Agriculture	0.0007 (Hectare)	0.0007
49	41	Private	Agriculture	0.469 (Hectare)	0.469
50	45	Private	Agriculture	0.382 (Hectare)	0.382
51	5	Private	Agriculture	0.0035 (Hectare)	0.0035
52	51	Private	Agriculture	0.4632 (Hectare)	0.4632
53	52	Private	Agriculture	0.0104 (Hectare)	0.0104
54	53	Private	Agriculture	0.3656 (Hectare)	0.3656
Total					10.8397

[F. No. GJ/LA/PMC-NH-41/0101/2023-24/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director